



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022023-243408  
CG-DL-E-03022023-243408

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2023/माघ 14, 1944

No. 42]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2023/MAGHA 14, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2023

**फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-I.**—केन्द्रीय सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इसके द्वारा चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से अधिसूचना सं. का.आ. 3523(अ) दिनांक 19.07.2018 द्वारा एक स्कीम नामतः “इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम” अधिसूचित की थी जिसे तत्पश्चात् दिनांक 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020, 29.10.2020, 25.05.2021, 05.04.2022 और 06.10.2022 की अधिसूचना सं. क्रमशः का.आ. 3952 (अ), का.आ. 5219 (अ), का.आ. 47 (अ), का.आ. 4104 (अ), का.आ. 1262 (अ), का.आ. 1523 (अ), का.आ. 3886 (अ), का.आ. 2026 (अ) और सं. 1(10)/2018-एसपी-I द्वारा संशोधित किया गया था।

2. अब दिनांक 19.07.2018 की उक्त अधिसूचना के पैरा 9 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि इस अधिसूचना दिनांक 19.07.2018 का पैरा 7 और 8 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

**पैरा 7. परियोजना पूर्ण होने का प्रमाणपत्र :**

“चीनी मिलों से संबंधित डिस्टिलरियाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप में जारी प्रचालन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत करेंगी। नई डिस्टिलरियों की स्थापना के लिए ऋण लेने वाली चीनी मिलें संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारी या सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिनमें प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी की स्थापना कर दी गई है और इथेनॉल का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है तथा ऐसे प्रयोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के समय प्रस्तावित विधियों से शून्य द्रव उत्सर्जन (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) को प्राप्त कर लिया गया है। ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।”

**पैरा 8: उपयोगिता प्रमाणपत्र :**

“संबंधित चीनी मिलें परियोजना पूर्ण होने के 6 माह के भीतर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित स्वीकृत ऋण राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। उन मामलों के लिए जहां परियोजना के पूर्ण होने के 6 महीने बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसे मामलों में न्याय-संगत कारणों के आधार पर विचार किया जाएगा और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी में छूट, यदि कोई है तो, पर डीएफपीडी द्वारा विचार ऐसे मामलों के गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

(Department of Food and Public Distribution)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2023

**F. No. 1(10)/2018-SP-I.**—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers, notified the scheme namely “Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity” vide notification No. S.O. 3523(E) dated 19.07.2018 which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952(E), S.O. 5219(E), S.O. 47 (E), S.O. 4104 (E), S.O.1262(E), S.O. 1523(E), S.O. 3886(E), S.O. 2026(E) and No.1(10)/2018-SP-I dated 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020, 29.10.2020, 25.05.2021, 05.04.2022 and 06.10.2022 respectively.

2. Now in pursuance of para 9 of the said notification dated 19.07.2018, Central Government has decided that Para 7 and Para 8 of the notification dated 19.07.2018 may be read as under:-

**Para 7: Project Completion Certificate:-**

“The concerned distilleries with sugar mills shall submit **Consent to Operate duly issued by the Central Pollution Control Board/ State Pollution Control Board/ Competent Authority of State Government**. Sugar mills availing loan to establish new distilleries shall submit **a certificate duly verified by the concerned State Government Authority or the Chartered Engineer** certifying that the new distillery has been installed and has commenced production of ethanol and zero liquid discharge (ZLD) has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Any failure to submit such certificates shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.”

**Para 8: Utilization Certificate:**

“The concerned sugar mills shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount **within 6 months** of the completion of the project, duly certified **by the Chartered Accountant**, certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. **For cases where Utilization Certificate have been submitted beyond 6 months of completion of the project, such cases will be considered based on justified reasons and relaxation, if any, for delay in submission of Utilization Certificate would be**

considered by DFPD on merit of such cases. Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.”

SUBODH KUMAR SINGH, Addl. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2023

**फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-I.**—केन्द्रीय सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और चीनी मिलों के साथ जुड़ी डिस्टिलरियों को दी जाने वाली सहायता के समान ही शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता देने के लिए, दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 1228 (अ) के जरिये “इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा संवर्धन हेतु शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीम” नामक एक स्कीम अधिसूचित की थी, जिसे बाद में दिनांक 25.05.2021, 05.04.2022 और 06.10.2022 की अधिसूचना सं. क्रमशः का.आ. 2025 (अ) और सं. 1(10)/2018-एसपी-I के माध्यम से संशोधित किया गया था।

2. अब दिनांक 08.03.2019 की उक्त अधिसूचना का पैरा 10 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 के पैरा 8 और 9 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

#### पैरा 8: परियोजना पूर्ण होने का प्रमाणपत्र :

“संबंधित शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी प्रचालन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत करेंगी। नई डिस्टिलरियों की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरियों के विस्तार के लिए ऋण लेने वाली शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियां संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारी या सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगी, जिनमें प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार कर दिया गया है और इथेनॉल का उत्पादन/बढ़ा हुआ उत्पादन प्रारम्भ हो गया है तथा ऐसे प्रयोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के समय प्रस्तावित विधियों से शून्य द्रव उत्सर्जन (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) को प्राप्त कर लिया गया है। ऐसे प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।”

#### पैरा 9: उपयोगिता प्रमाणपत्र :

“संबंधित शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियां परियोजना पूर्ण होने के 6 माह के भीतर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित स्वीकृत ऋण राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। उन मामलों के लिए, जहां परियोजना के पूर्ण होने के 6 महीने बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसे मामलों में न्यायसंगत कारणों के आधार पर विचार किया जाएगा और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में, यदि कोई है तो, देरी में छूट पर डीएफपीडी द्वारा विचार ऐसे मामलों के गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।”

सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2023

**F. No. 1(10)/2018-SP-I.**—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and to extend financial assistance to molasses based standalone distilleries on lines similar to that extended to distilleries attached with sugar mills, notified the scheme namely “Scheme for extending financial assistance to molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity” vide notification No. S.O. 1228 (E) dated 08.03.2019 which was subsequently amended vide notification No. S.O. 2025(E) and No.1(10)/2018-SP-I, dated 25.05.2021, 05.04.2022 and 06.10.2022 respectively.

2. Now in pursuance of para 10 of the said notification dated 08.03.2019, Central Government has decided that Para 8 and Para 9 of the notification dated 08.03.2019 may be read as under:-

**Para 8: Project Completion Certificate:**

“The concerned molasses based stand alone distilleries shall submit **Consent to Operate duly issued by the Central Pollution Control Board/ State Pollution Control Board/ Competent Authority of State Government**. The molasses based stand alone distilleries availing loan to establish new distilleries or expansion of the existing distilleries shall submit **a certificate duly verified by the concerned State Government Authority or the Chartered Engineer** certifying that the new distillery or expansion of the existing distillery has been installed/ completed and production/enhanced production of ethanol has commenced and zero liquid discharge (ZLD) has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Any failure to submit such certificates shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.”

**Para 9: Utilization Certificate:**

“The concerned molasses based stand alone distilleries shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount **within 6 months** of the completion of the project, duly certified **by the Chartered Accountant**, certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. **For cases where Utilization Certificate have been submitted beyond 6 months of completion of the project, such cases will be considered based on justified reasons and relaxation, if any, for delay in submission of Utilization Certificate would be considered by DFPD on merit of such cases.** Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.”

SUBODH KUMAR SINGH, Addl. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2023

**फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-I.**—जबकि केन्द्रीय सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और चीनी मिलों के साथ जुड़ी डिस्टिलरियों को दी जाने वाली सहायता के समान ही शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता देने के लिए, दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 1228 (अ) के जरिये निम्नलिखित स्कीम नामतः “इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा संवर्धन हेतु शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीम” अधिसूचित की थी। तत्पश्चात्, “इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा संवर्धन हेतु शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की नयी स्कीम” को दिनांक 15.09.2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 3135(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया था और बाद में अधिसूचना सं.1(10)/2018-एसपी-I द्वारा क्रमशः दिनांक 05.04.2022 और 06.10.2022 को संशोधित किया गया था।

2. अब दिनांक 15.09.2020 की उक्त अधिसूचना का पैरा 10 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस अधिसूचना दिनांक 15.09.2020 के पैरा 8 और पैरा 9 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

**पैरा 8: परियोजना पूर्ण होने का प्रमाणपत्र:-**

“संबंधित नए उद्यमी/शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी प्रचालन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत करेंगी। नई डिस्टिलरियों की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरियों के विस्तार के लिए ऋण लेने वाली शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियां संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारी या सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिनमें प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार कर दिया गया है और इथेनॉल का उत्पादन/बढ़ा हुआ उत्पादन प्रारम्भ हो गया है तथा ऐसे प्रयोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के समय प्रस्तावित विधियों से शून्य द्रव उत्सर्जन (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) को प्राप्त कर लिया गया है। ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।”

**पैरा 9: उपयोगिता प्रमाणपत्र :**

“संबंधित शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियां परियोजना पूर्ण होने के 6 माह के भीतर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित स्वीकृत ऋण राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। उन मामलों के लिए, जहां परियोजना के पूर्ण होने के 6 महीने बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसे मामलों में न्यायसंगत कारणों के आधार पर विचार किया जाएगा और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी में छूट, यदि कोई है तो, पर डीएफपीडी द्वारा विचार ऐसे मामलों के गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2023

**F. No. 1(10)/2018-SP-I.**—Whereas the Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and to extend financial assistance to molasses based standalone distilleries on lines similar to that extended to distilleries attached with sugar mills, notified the following scheme namely- “Scheme for extending financial assistance to molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity”- vide notification No.S.O.1228(E), dated 08.03.2019. Thereafter, “New Scheme for extending financial assistance to molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity” was notified on 15.09.2020 vide Notification No. S.O. 3135(E), and was subsequently amended vide Notification No. 1(10)/2018-SP-I dated 05.04.2022 and 06.10.2022 respectively.

2. Now in pursuance of para 10 of the said notification dated 15.09.2020, Central Government has decided that Para 8 and para 9 of the notification dated 15.09.2020 may be read as under:-

**Para 8: Project Completion Certificate:**

“The concerned new entrepreneurs/molasses based stand alone distilleries shall submit **Consent to Operate duly issued by the Central Pollution Control Board/ State Pollution Control Board/ Competent Authority of State Government.** The molasses based stand alone distilleries availing loan to establish new distilleries or expansion of the existing distilleries shall submit **a certificate duly verified by the concerned State Government Authority or the Chartered Engineer** certifying that the new distillery or expansion of the existing distillery has been installed/ completed and production/enhanced production of ethanol has commenced and zero liquid discharge (ZLD) has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Any failure to submit such certificates shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.”

**Para 9: Utilization Certificate:**

“The concerned molasses based stand alone distilleries shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount **within 6 months** of the completion of the project, duly certified **by the Chartered Accountant**, certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. **For cases where Utilization Certificate have been submitted beyond 6 months of completion of the project, such cases will be considered based on justified reasons and relaxation, if any, for delay in submission of Utilization Certificate would be considered by DFPD on merit of such cases.** Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.”

SUBODH KUMAR SINGH, Addl. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2023

**फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-I.**—केन्द्रीय सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईवीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति करने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से अधिसूचना सं. का.आ. 3523(अ) दिनांक 19.07.2018 द्वारा एक स्कीम नामतः “इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम” अधिसूचित की थी, जिसे बाद में दिनांक

09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020, 29.10.2020 और 25.05.2021 की अधिसूचना सं. क्रमशः का.आ. 3952 (अ), का.आ. 5219 (अ), का.आ. 47 (अ), का.आ. 4104 (अ), का.आ. 1262 (अ), का.आ. 1523 (अ), का.आ. 3886 (अ) और का.आ. 2026 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था। तत्पश्चात्, दिनांक 08.03.2019 को "इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी नयी स्कीम" नामक एक नयी स्कीम अधिसूचित की गयी थी और इसके अलावा, दिनांक 15.09.2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3136 (अ) के द्वारा एक नयी स्कीम नामतः "इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी नयी स्कीम-2020" अधिसूचित की गयी थी एवं जिसे बाद में अधिसूचना सं. 1(10)/2018-एसपी-I द्वारा क्रमशः दिनांक 05.04.2022 और 06.10.2022 को संशोधित किया गया था।

2. अब दिनांक 15.09.2020 की उक्त अधिसूचना का पैरा 10 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस अधिसूचना दिनांक 15.09.2020 के पैरा 8 और पैरा 9 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

**पैरा 8: परियोजना पूर्ण होने का प्रमाणपत्र :**

“चीनी मिलों से संबंधित डिस्टिलरियां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी प्रचालन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत करेंगी। नई डिस्टिलरियों की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरियों के विस्तार के लिए ऋण लेने वाली चीनी मिलें संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारी या सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगी, जिनमें प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार कर दिया गया है और इथेनॉल का उत्पादन/बढ़ा हुआ उत्पादन प्रारम्भ हो गया है तथा ऐसे प्रयोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के समय प्रस्तावित विधियों से शून्य द्रव उत्सर्जन (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) को प्राप्त कर लिया गया है। ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।”

**पैरा 9: उपयोगिता प्रमाणपत्र :**

“संबंधित चीनी मिलें परियोजना पूर्ण होने के 6 माह के भीतर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित स्वीकृत ऋण राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। उन मामलों के लिए, जहां परियोजना के पूर्ण होने के 6 महीने बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसे मामलों में न्यायसंगत कारणों के आधार पर विचार किया जाएगा और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी में छूट, यदि कोई है तो, पर डीएफपीडी द्वारा विचार ऐसे मामलों के गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2023

**F. No. 1(10)/2018-SP-I.**—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers notified the scheme namely “Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity” vide notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018, which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952(E), S.O. 5219(E), S.O. 47 (E), S.O. 4104 (E), S.O.1262(E), S.O. 1523(E), S.O. 3886(E) and S.O. 2026(E) dated 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020, 29.10.2020, and 25.05.2021, respectively. Thereafter a new scheme namely “New Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity” was notified on 08.03.2019 and further a new scheme namely- “New Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity-2020” was notified on 15.09.2020 vide Notification No. S.O. 3136(E) and was subsequently amended vide Notification No. 1(10)/2018-SP-I dated 05.04.2022 and 06.10.2022 respectively.

2. Now in pursuance of para 10 of the said notification dated 15.09.2020, Central Government has decided that Para 8 and Para 9 of the notification dated 15.09.2020 may be read as under:-

**Para 8: Project Completion Certificate:**

“The concerned distilleries attached with sugar mills shall submit **Consent to Operate duly issued by the Central Pollution Control Board/ State Pollution Control Board/ Competent Authority of State Government**. Sugar mills availing loan to establish new distilleries or expansion of the existing distilleries shall submit **a certificate duly verified by the concerned State Government Authority or the Chartered Engineer** certifying that the new distillery or expansion of the existing distillery has been installed/ completed and production/enhanced production of ethanol has commenced and zero liquid discharge (ZLD) has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Any failure to submit such certificates shall lead to non reimbursement of interest subvention by the Central Government.”

**Para 9: Utilization Certificate:**

“The concerned sugar mills shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount **within 6 months** of the completion of the project, duly certified **by the Chartered Accountant**, certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. **For cases where Utilization Certificate have been submitted beyond 6 months of completion of the project, such cases will be considered based on justified reasons and relaxation, if any, for delay in submission of Utilization Certificate would be considered by DFPD on merit of such cases.** Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.”

SUBODH KUMAR SINGH, Addl. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2023

**फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-I.-** केंद्रीय सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में, पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईवीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इसके द्वारा चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 3523 (अ) द्वारा एक स्कीम नामतः ‘इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम’ अधिसूचित की थी, जिसमें बाद में दिनांक 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020, 29.10.2020, 25.05.2021, 05.04.2022 और 06.10.2022 की अधिसूचना सं. क्रमशः का.आ. 3952 (अ), का.आ. 5219 (अ), का.आ. 47 (अ), का.आ.4104 (अ), का.आ.1262 (अ), का.आ.1523 (अ), का.आ.3886 (अ), का.आ. 2026 (अ) और सं. 1(10)/2018-एसपी-I द्वारा संशोधन किया गया था। इसके बाद “इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन करने के लिए चीनी मिलों और शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम” दिनांक 08.03.2019 को अधिसूचना सं. का.आ.1227 (अ) और का.आ. 1228 (अ) द्वारा अधिसूचित की गई थी। इसके अलावा, दिनांक 15.09.2020 को अधिसूचना सं. का.आ. 3135 (अ) और का. आ. 3136 (अ) के द्वारा 30 दिनों के लिए एक छोटी विंडो खोली गई थी, जिसमें शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरियों और चीनी मिलों से इस स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तत्पश्चात, दिनांक 14.01.2021 को अधिसूचना सं. का.आ. 148 (अ) के माध्यम से आशोधित स्कीम नामतः “परियोजना प्रस्तावकों को उनकी इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता में वृद्धि करने या फीड स्टॉक जैसे अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का तथा सोरघम), गन्ने, चकुंदर आदि से फर्स्ट जेनेरेशन इथेनॉल (1जी) के उत्पादन हेतु डिस्टिलरियां स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीम” अधिसूचित की गई थी और जिसे बाद में अधिसूचना सं. 1(10)/2018-एसपी-I क्रमशः दिनांक 05.04.2022 और 06.10.2022 के द्वारा संशोधित किया गया था।

2. अब दिनांक 14.01.2021 की उक्त अधिसूचना के पैरा 9 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि दिनांक 14.01.2021 की अधिसूचना के पैरा 7 और पैरा 8 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

**पैरा 7: परियोजना पूर्ण होने का प्रमाणपत्र :**

“संबंधित उद्यमी/ चीनी मिलें/डिस्टिलरियां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी प्रचालन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत करेंगी। नई डिस्टिलरियों की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरियों के विस्तार के लिए ऋण लेने वाले चीनी मिलें/डिस्टिलरियां/ उद्यमी संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारी या सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे, जिनमें प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार कर दिया गया है और इथेनॉल का उत्पादन/बढ़ा हुआ उत्पादन प्रारम्भ हो गया है तथा ऐसे प्रयोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के समय प्रस्तावित विधियों से शून्य द्रव उत्सर्जन (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) प्राप्त कर लिया गया है। ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।”

**पैरा 8: उपयोगिता प्रमाणपत्र :**

“संबंधित चीनी मिलें/डिस्टिलरियां/ उद्यमी परियोजना पूर्ण होने के 6 माह के भीतर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। उन मामलों के लिए, जहां परियोजना के पूर्ण होने के 6 महीने बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसे मामलों में न्यायसंगत कारणों के आधार पर विचार किया जाएगा और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी में छूट, यदि कोई है तो, पर डीएएफपीडी द्वारा विचार ऐसे मामलों के गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।”

सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2023

**F. No. 1(10)/2018-SP-I.**—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers notified the scheme namely “Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity” vide notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018, which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952(E), S.O. 5219(E), S.O. 47 (E), S.O. 4104 (E), S.O.1262(E), S.O. 1523(E), S.O. 3886(E), S.O. 2026(E) and No.1(10)/2018-SP-I dated 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020, 29.10.2020, 25.05.2021, 05.04.2022 and 06.10.2022 respectively. Thereafter schemes for extending financial assistance to sugar mills & molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity were notified on 08.03.2019 vide notifications No. S.O. 1227(E) & S.O. 1228(E). Further vide notifications No. S.O. 3135(E) & S.O. 3136(E) dated 15.09.2020, a small window was opened for 30 days for inviting applications under the scheme from molasses based stand alone distilleries and from sugar mills. Thereafter, a modified scheme namely “Scheme for extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet etc.” was notified on 14.01.2021 vide Notification No. S.O. 148 (E) and was subsequently amended vide Notification No. 1(10)/2018-SP-I dated 05.04.2022 and 06.10.2022 respectively.

2. Now in pursuance of para 9 of the said notification dated 14.01.2021, Central Government has decided that Para 7 and Para 8 of the notification dated 14.01.2021 may be read as under:-

**Para 7: Project Completion Certificate:-**

“The concerned entrepreneur/ sugar mill/ distillery shall submit **Consent to Operate duly issued by the Central Pollution Control Board/ State Pollution Control Board/ Competent Authority of State Government.** Sugar mills/ distilleries/ entrepreneurs availing loan to establish new distilleries or expansion of the existing distilleries shall submit **a certificate duly verified by the concerned State Government Authority or the Chartered Engineer** certifying that the new distillery or expansion of the existing distillery has been installed/ completed and production/enhanced production of ethanol has commenced and zero liquid discharge (ZLD) has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Any failure to submit such certificates shall lead to non reimbursement of interest subvention by the Central Government.”



**Para 8: Utilization Certificate:**

“The concerned sugar mills/ distilleries/ entrepreneurs shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount **within 6 months** of the completion of the project, duly certified **by the Chartered Accountant**, certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. **For cases where Utilization Certificate have been submitted beyond 6 months of completion of the project, such cases will be considered based on justified reasons and relaxation, if any, for delay in submission of Utilization Certificate would be considered by DFPD on merit of such cases.** Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.”

SUBODH KUMAR SINGH, Addl. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2023

**फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-I.**—केन्द्रीय सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में, पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इसके द्वारा चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से दिनांक 22.04.2022 की अधिसूचना सं. 1(10)/2018 एसपी-I के माध्यम से ऐसे परियोजना प्रस्तावकों, जिन्होंने अपनी मौजूदा इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए अथवा अनाज (चावल, गेहूं, जौ मक्का एवं सोरघम) गन्ना (चीनी, शुगर सीरप, गन्ना जूस, बी- हेवी शीरा, सी- हेवी शीरा सहित), चुकंदर आदि जैस फीड स्टॉक से प्रथम जनरेशन (1जी) इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए नई डिस्टिलरियों की स्थापना हेतु इथेनॉल परियोजना के लिए भूमि अधिगृहीत किया है और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है, से नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए दिनांक 14.01.2021 के अशोधित स्कीम के तहत दिनांक 22.04.2022 से छः माह तक के लिए एक विंडो खोला था, जिसे अधिसूचना दिनांक 20.10.2022 द्वारा दिनांक 22.04.2022 से आगे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।

2. अब उक्त अधिसूचना दिनांक 22.04.2022 के पैरा 9 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिसूचना दिनांक 22.04.2022 के पैरा 7 और पैरा 8 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

**पैरा 7: परियोजना पूर्ण होने का प्रमाणपत्र :**

“संबंधित उद्यमी/ चीनी मिलें/डिस्टिलरियां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी प्रचालन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत करेंगी। नई डिस्टिलरियों की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरियों के विस्तार के लिए ऋण लेने वाले चीनी मिलें/डिस्टिलरियां/ उद्यमी संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारी या सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिनमें प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार कर दिया गया है और इथेनॉल का उत्पादन/बढ़ा हुआ उत्पादन प्रारंभ हो गया है तथा ऐसे प्रयोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के समय प्रस्तावित विधियों से शून्य द्रव उत्सर्जन (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) की प्राप्त कर लिया गया है। ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।”

**पैरा 8: उपयोगिता प्रमाणपत्र :**

“संबंधित चीनी मिलें/डिस्टिलरियां/ उद्यमी परियोजना पूर्ण होने के 6 माह के भीतर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित स्वीकृत ऋण राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। उन मामलों के लिए, जहां परियोजना के पूर्ण होने के 6 महीने बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसे मामलों में न्यायसंगत कारणों के आधार पर विचार किया जाएगा और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी में छूट, यदि कोई है तो, पर डीएएफपीडी द्वारा विचार ऐसे मामलों के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।”

सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2023

**F. No. 1(10)/2018-SP-I.**—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers opened a window for six months w.e.f. 22.04.2022 under modified scheme dated 14.01.2021 for inviting fresh applications from those project proponents who have acquired land for ethanol project and obtained Environmental Clearance (EC) for enhancement of their existing ethanol distillation capacity or to set up new distillery for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane (including sugar, sugar syrup, sugarcane juice, B-heavy molasses, C-heavy molasses), sugar beet etc. vide notification No. 1(10)/2018-SP-I dated 22.04.2022 which was further extended for one year w.e.f 22.04.2022 vide notification dated 20.10.2022.

2. Now in pursuance of para 9 of the said notification dated 22.04.2022, Central Government has decided that Para 7 and Para 8 of the notification dated 22.04.2022 may be read as under:-

**Para 7: Project Completion Certificate:-**

“The concerned entrepreneur/ sugar mill/ distillery shall submit **Consent to Operate duly issued by the Central Pollution Control Board/ State Pollution Control Board/ Competent Authority of State Government**. Sugar mills/ distilleries/ entrepreneurs availing loan to establish new distilleries or expansion of the existing distilleries shall submit **a certificate duly verified by the concerned State Government Authority or the Chartered Engineer** certifying that the new distillery or expansion of the existing distillery has been installed/ completed and production/enhanced production of ethanol has commenced and zero liquid discharge (ZLD) has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Any failure to submit such certificates shall lead to non reimbursement of interest subvention by the Central Government.”

**Para 8: Utilization Certificate:**

“The concerned sugar mills/distilleries/entrepreneurs shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount **within 6 months** of the completion of the project, duly certified **by the Chartered Accountant** certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. **For cases where Utilization Certificate have been submitted beyond 6 months of completion of the project, such cases will be considered based on justified reasons and relaxation, if any, for delay in submission of Utilization Certificate would be considered by DFPD on merit of such cases.** Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.”

SUBODH KUMAR SINGH, Addl. Secy.